अज अदालत उपखण्ड अधिकारी ...

राज्य सरकार जरिये पटवारी बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 128 LR Act नम्बर 370 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/2023	रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रा० पत्र द्वारा 128 LR Act पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28/6/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
28/6/2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील स्पष्ट रूप से हो चुकी है। बार-बार आवाज दिलवायी जाने पर भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते ... प्रार्थी दिनांक 30/6/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:43:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

30/6/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थी प्रश्नगत आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का दिनांक 29.05.2023 को विधिवत सीमाज्ञान भी करवा लिया है। सीमा विवाद की सम्भावनाओं के कारणों से प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2023 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 414, 428, 430, 431, 433, 434 किता 6 रकबा 1.40 हैक्ट. एवं ख.न. 427, 429 किता 2 रकबा 0.02 है. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अर्थात प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा उन्हे अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का कानूनन पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 414, 428, 430, 431, 433, 434 किता 6 रकबा 1.40 हैक्ट. एवं ख.न. 427, 429 किता 2 रकबा 0.02 है. की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 के पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:43:06 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner